न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 12/17

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र नन्दा
2. किशनलाल पुत्र नन्दा
3. लाडा पुत्र नन्दा
4. प्रेम पुत्री नन्दा
5. शांति पुत्री नन्दा
6. छोटी पुत्री नन्दा
7. भंवरलाल पुत्र परसा
8. मंगल पुत्र परसा
9. श्रीमति मंथरा पत्नी पिन्टू
10. राहुल पुत्र पिन्टू
11. राकेश पुत्र पिन्टू प्रार्थी संख्या 6 व 7 नाबालिग पुत्रगण जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मंथरा समस्त जाति कुम्हार निवासी ढाल तहसील नसीराबाद

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता सीताराम रावत

बनाम

1. केसर पत्नी महावीर
2. भंवरलाल पुत्र महावीर
3. कैलाश पुत्र महावीर
4. विश्राम पुत्र महावीर
5. चन्ता पत्री महावीर जाति भांबी निवासी ग्राम ढाल तहसील नसीराबाद
6. मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक नसीराबाद
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– जरिये अधिवक्ता नौरतमल जैन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :–

दिंनाक :–27.3.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम ढाल में स्थित है जिसके चौसाला जमाबंदी खसरा नम्बर पुराना 438 रकबा 6–19–00 वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर नवीन 961 मिन 0–6–0, 964 मिन 1–0–0, 962 2–19–0, 963 2–14–0, चौसाला जमाबंदी खसरा नम्बर पुराना 439 रकबा 7–0–0 वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर नवीन 961

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

, मिन 2–7–0, 964 मिन 3–6–0, 965 0–2–0, 966 1–5–0 हाल खसरा नम्बर 727 0.03, 728 0.26, 729 0.04, 730 0.51, 731 0.20, 732 0.45, 737 0.49, 738 0.07, 739 0.40 है। वादग्रस्त आराजियात चौसाला पुरा खसरा नम्बर 438 रकबा 6–19–0 नन्दा पुत्र छोगा कुम्हार के द्वारा दिनांक 3.6.1962 को किशन पुत्र हरदेव भांबी से जरिये रजिस्ट्री से क्रय किया तथा चौसाला पुराना खसरा नम्बर 439 रकबा 7–0–0 दिनांक 1.5.1962 को किशन पुत्र हरदेव भांबी से जरिये रजिस्ट्री से क्रय कियातथा क्रय शुदा भूमि का विक्रेता किशन पुत्र हरदेव भांबी द्वारा खरीद दिनांक को प्रतिफल राशि प्राप्त कर रजिस्ट्री कराते हुये क्रेता नन्दा पुत्र छोगा कुम्हार को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया तथा विक्रेता किशन पुत्र हरदेव की भांबी की मृत्यू हो जाने के पश्चात वारिसान अप्रार्थीगण है तथा क्रेता नन्दा पुत्र छोगा कुम्हार की भी मृत्यू हो गयी जिसके वारिसान प्रार्थीगण है। तथा मौके पर कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है। खातेदार किशन पुत्र हरदेव भांबी द्वारा चौसाला पुराना खसरा नम्बर 438 रकबा 6–19–0, 439 रकबा 7–0–0 को रजिस्ट्री बेनामें से क्रेता नन्दा पुत्र छोगा कुम्हार को बेचान किया गया जो भूमि रजिस्ट्री क्रेता नन्दा पुत्र छोगा के नाम चौसाला जमाबंदी में खातेदारी अंकन कर वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नम्बर 961 मिन 0–6–0, 964 मिन 1–0–0, 962 2–19–0, 963 2–14–0, चौसाला जमाबंदी खसरा नम्बर पुराना 439 रकबा 7–0–0 वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर नवीन 961 मिन 2–7–0, 964 मिन 3–6–0, 965 0–2–0, 966 1–5–0 व वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में बने हाल खसरा नम्बर 727 0.03, 728 0.26, 729 0.04, 730 0.51, 731 0.20, 732 0.45, 737 0.49, 738 0.07, 739 0.40 भूमि का प्रार्थीगण के नाम नन्दा पुत्र छोगा क्रेता की मृत्यू के पश्चात वर्किंग जमाबंदी एवं राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी अंकन की जानी चाहिए थी किन्तु बंदोबस्त विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से विक्रेता के नाम दर्ज कर उसकी मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान अप्रार्थीगणों के नाम गलत अंकन कर दिया को पुनः दुरूस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम बेनामा अनुसार खातेदारी अंकन की जावे। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि है जिस पर प्रार्थीगण खरीद समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की क्रयशुदा भूमि को वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में गलती से अप्रार्थीगणों के वारिसान के नाम गलत अंकन कर दिया जिससे अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को उनकी भूमि में दखलंदाजी करना प्रारम्भ कर दिया व खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर अग्रसर एवं आतुर है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया की प्रार्थीगण की खरीद शुदा भूमि से महरूम नहीं करें तथा ना ही कब्जा काश्त में दखल करें एवं बय, बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया की खसरा नम्बर 438 रकबा 6–19–00, 439 रकबा 7–0–0 भूमि को किशन पुत्र हरदेव जाति भांबी के द्वारा विक्रय पत्र 3.6.1962 एवं 1.5.1962 के अनुसार नन्दा पुत्र छोगा जाति कुम्हार को बेचान नहीं नहीं की गई तथाकथित विक्रय पत्र जो कि कूटरचित फर्जी दस्तावेज है। तथाकथित विक्रय पत्र विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार प्रारंभ से ही शून्य है। किशन पुत्र हरदेव जाति भांबी अनुसूचित जाति के सदस्य थे तथा नन्दा पुत्र छोगा जातिं कुम्हार स्वर्ण जाति के सदस्य थे ऐसी अवस्था में भी अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि को स्वर्ण जाति के सदस्य के द्वारा क्रय ही नहीं की जा सकती एंवं अनुसूचित जाति के सदस्य को भी स्वर्ण जाति के सदस्य को विक्रय ही नहीं की जा सकती थी। तथाकथित विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार प्रारम्भ से ही शून्य होने से वादीगण को विवादित भूमि बाबत कोई हक, अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता श्रीकिशन पुत्र हरदेव का

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

Scanned by CamScanner

961 मिन 0–6–0, 964 मिन 1–0–0, 962 2–19–0, 963 2–14–0, नन्दा पुत्र छोगा कुम्हार के द्वारा दिनांक 3.6.1962 को किशन पुत्र हरदेव भांबी से जरिये रजिस्ट्री से कय किया तथा चौसाला जमाबंदी खसरा नम्बर पुराना 439 रकबा 7–0–0 वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर नवीन 961 मिन 2–7–0, 964 मिन 3–6–0, 965 0–2–0, 966 1–5–0 को चौसाला पुराना खसरा नम्बर 439 रकबा 7–0–0 दिनांक 1.5.1962 को किशन पुत्र हरदेव भांबी से जरिये रजिस्ट्री से कय किया। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र से स्पष्ट है कि किशन पुत्र हरदेव के द्वारा खसरा नम्बर 439 का बेचान नन्दा वल्द छोगा कौम कुम्हार को दिनांक 1.5.1962 से किया गया जो उप पंजीयक अजमेर के द्वारा पंजीकृत है। खसरा नम्बर 438 का बेचान नन्दा वल्द छोगा जाति कुम्हार को 2.6.1962 को किया गया किन्तु उक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि उप पंजीयक अजमेर के द्वारा पंजीकृत नहीं है। किशन पुत्र हरदेव जाति भांबी अनुसूचित जाति के सदस्य थे तथा नन्दा पुत्र छोगा जाति कुम्हार स्वर्ण जाति के सदस्य थे ऐसी अवस्था में भी अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि को स्वर्ण जाति के सदस्य के द्वारा कय नहीं किया जा सकता एवं अनुसूचित जाति के सदस्य को भी स्वर्ण जाति के सदस्य को विक्रय ही नहीं की जा सकती है। चूँकि किशन पुत्र हरदेव जाति भांबी अनुसूचित जाति के सदस्य थे एवं नन्दापुत्र छोगा जाति कुम्हार स्वर्ण जाति के सदस्य थे। अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि को स्वर्ण जाति के सदस्य के द्वारा कय नहीं किये जा सकने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य को भी स्वर्ण जाति के सदस्य को भूमि विक्रय नहीं किये जा सकने के कारण तथाकथित विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार प्रारम्भ से ही शून्य है। चूँकि पंजीकृत विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार बाधित है। अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 15.6.1958 को लागू हुआ था।

वर्किंग जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजियात महावीर वल्द किशना कौम भांभी के नाम दर्ज थी तथा नामान्तकरण संख्या 829 दिनांक 27.5.87 के अनुसार महावीर के स्थान पर अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज की गई तथा खसरा गिरदावरी संवत 2068 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर अप्रार्थीगणों का ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। हाल जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में रेकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा नजीर आरआरटी 2013 (1) पृष्ठ संख्या 123 से 124, आरआरटी 2013 (1) पृष्ठ संख्या 133 से 136, 2016 आरबीजे 517 पृष्ठ संख्या 517 से 519 पेश की गई।

प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में पंजीकृत विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार बाधित है। अप्रार्थीगण रेकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2013 (1) पृष्ठ संख्या 123 से 124, आरआरटी 2013 (1) पृष्ठ संख्या 133 से 136, 2016 आरबीजे 517 पृष्ठ संख्या 517 से 519 में अंकित है की अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण में चस्पा होती है। कब्जे के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही निर्णित होगें। अतः प्रार्थीगण यह सिद्व करने में असफल रहे है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उन्हें क्या अपूरणीय क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक अप्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक अप्रार्थीगण सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम ढाल के चौसाला जमाबंदी खसरा नम्बर पुराना 438 रकबा 6–19–00 वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर नवीन 961 मिन 0–6–0, 964 मिन 1–0–0, 962 2–19–0, 963 2–14–0, चौसाला जमाबंदी खसरा नम्बर पुराना 439 रकबा 7–0–0 वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर नवीन 961 मिन 2–7–0, 964 मिन 3–6–0, 965 0–2–0, 966 1–5–0 हाल खसरा नम्बर 727 0.03, 728 0.26, 729 0.04, 730 0.51, 731 0.20, 732 0.45, 737 0.49, 738 0.07, 739 0.40 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"अस्वीकार"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner